भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 371**

04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

**विषय: किसानों को जैव-कीटनाशकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की पहल**

**371. श्री परषोत्तमभाई रूपाला:**

**श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा जैव-कीटनाशकों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने और जैव-कीटनाशकों संबंधी अनुसंधान के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी करने के लिए क्या पहल की गई है;

(ख) सरकार द्वारा जैव-कीटनाशकों से संबंधित चुनौतियों, जैसे कि घटिया या नकली उत्पादों का प्रचलन, मियाद (शेल्फ लाइफ) के बारे में चिंताएं, देश में जैव-कीटनाशकों के लिए महंगी और लंबी पंजीकरण प्रक्रिया और जैव-कीटनाशक उत्पादन के लिए आवश्यक पर्याप्त प्रारंभिक पूंजी निवेश, इत्यादि का समाधान करने के लिए विभिन्न हितधारकों के सहयोग से क्या कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक पहलू के विषय में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार जैव-उर्वरकों और प्राकृतिक उर्वरकों जैसे अन्य प्रकार के उर्वरकों को बढ़ावा दे रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा किसानों के बीच इनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

**(क) से (घ):** भारत सरकार अपने केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्रों (सीआईपीएमसी), कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और राज्य कृषि विभागों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रासायनिक कीटनाशकों के विकल्प के रूप में जैव कीटनाशकों, जैव नियंत्रण एजेंटों और वनस्पति फॉर्मूलेशन के उपयोग को बढ़ावा देती है और अंतिम उपाय के रूप में रासायनिक कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) के तहत केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (सीआईबीएंडआरसी) कीटनाशकों की प्रभावकारिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ही देश में उपयोग के लिए कीटनाशकों का पंजीकरण करती है और रासायनिक कीटनाशकों की तुलना में न्यूनतम पंजीकरण शुल्क के साथ जैव कीटनाशकों के पंजीकरण के लिए सरलीकृत दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और

जैव कीटनाशकों के उपयोग को अपनाने और प्रोत्साहित करने के लिए व्यावसायीकरण की अनुमति के साथ-साथ अनंतिम पंजीकरण भी दिए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 20 के तहत नियुक्त कीटनाशक निरीक्षक, किसी भी घटिया या नकली उत्पादों की बिक्री की जांच करने के लिए नियमित अंतराल पर अपने अधिकार क्षेत्र में विनिर्माण इकाइयों और सेल प्वाइंट से सैम्पल लेते हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संस्थान के अंतर्गत एआईसीआरपी (अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना) कार्यक्रमों के तहत विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) के माध्यम से कठोर परीक्षण के बाद जैव कीटनाशक विकसित कर रहे हैं। विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से, देश भर में जैव कीटनाशकों के विकास और प्रसार को सुविधाजनक बनाने के लिए कई जैव नियंत्रण प्रयोगशालाएँ और उत्पादन इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। ये सुविधाएँ माइक्रोबियल कीटनाशकों के उत्पादन और जैव कीटनाशक प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए अनुसंधान करने में सहायक हैं, और इनका उद्देश्य जैव कीटनाशक उत्पादन और तकनीकी सहायता के लिए आवश्यक प्रारंभिक पूंजी निवेश को कम करना भी है। इसके अलावा, आईसीएआर संस्थान जैव कीटनाशकों के शेल्फ लाइफ पर अनुसंधान में भी सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।

सरकार परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) योजनाओं के तहत जैव-उर्वरकों के उपयोग को भी प्रोत्साहित करती है। पीकेवीवाई योजना के तहत, किसानों को जैव-उर्वरक सहित ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए डीबीटी के माध्यम से 3 वर्षों के लिए 15000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) के तहत, जैव-उर्वरक सहित ऑफ-फार्म/ऑन-फार्म जैविक इनपुट के लिए किसानों को 3 वर्षों के लिए 32500 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*****